Seventeenth Loksabha

pan>

Title: The Representation of The People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of New Section 29AA). Further discussion on the Motion for Consideration of the Bill moved by Shri Gopal Chinayya Shetty on 5th August, 2022 contd ...

-

माननीय सभापति : आइटम नंबर 136, लोक प्रतिनिधत्व (संशोधन) विधेयक-2022, धारा-58 का संशोधन आदि। श्री गोपाल शेट्टी जी, आपने पिछली बार इसे प्रारम्भ किया था। प्लीज काँटीन्यू।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): धन्यवाद सभापति जी, इस विषय को मैंने प्रारम्भ किया था और कुछ बातें बतायी थीं। कुछ बातें मैं एक बार फिर आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग पार्टी का गठन करते हैं। यह लोकशाही अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव में जो घोषणाएं की जाती हैं और फिर जीतकर आने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया जाता: अत: मैंने यह मांग की है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां, जो मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

हमारे देश की व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि अगर हमें इस सभागृह को चलाना है तो उसके लिए एक कोरम होना चाहिए। जब हम चुनाव लड़ते हैं, अगर हमें कुल वोट के 6 प्रतिशत वोट नहीं मिलते हैं तो हमारी जमानत राशि जब्त हो जाती है। गुजरात के चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को भी 13 प्रतिशत वोट मिल गया तो उनको पूरे देश भर में मान्यता प्राप्त हो गई है। चुनावी व्यवस्था में यह भी है कि अगर यह 13 प्रतिशत वोट घट जाता है, अगर तीन राज्यों में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या घट जाती है तो उनकी मान्यता रद्द भी होती है। हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। परसों तक तो सिर्फ 8 राजनीतिक पार्टियों को ही राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी, जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया था। अब उसमें एक की बढ़ोतरी हुई है। यह हमारे देश की लोकशाही है और यही हमारी लोकशाही की सुन्दरता है कि हमारा देश नियम-कायदे के आधार पर चलता है। इन नियमों और कायदों को देश के सारे 130 करोड़ लोग मानते हैं।

महोदय, माननीय अटल जी का भाषण जब इस सभागृह में होता था तो वे 100 करोड़ भारत देश के लोगों की आबादी का उल्लेख करते थे। वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी आ गए, वे 130 करोड़ लोगों की बात करने लगे। आज इस सभागृह में एक माननीय सदस्य अपने भाषण में कह रहे थे कि 135 करोड़ का यह देश हो गया है। आने वाले 10-20 साल में इस देश की लोक संख्या कितनी बढ़ेगी, वह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा बहुत बड़ा देश है और हमारा देश एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर चलता है। कल कोई भी उठकर लोक-लुभावनी घोषणा करके लोगों को अपने पक्ष में लेकर अगर चुनाव जीत भी जाता है और उन घोषणाओं को पूरा नहीं करता है तो लोगों का इतनी बड़ी लोकशाही के ऊपर जो विश्वास है, वह उठ जाएगा। हाल ही में गुजरात में जो चुनाव हुआ, हमने उसमें देखा कि किसी भी प्रकार की लोक-लुभावन घोषणा और वादा न करते हुए देश और गुजरात के इतिहास में इतनी बड़ी जीत हुई। अब मतदाता होशियार हो गया है।

मतदाता समझने लग गया है, मतदाता को देश की चिंता है, मतदाता को राज्य की चिंता है। 5 साल हमारा नेतृत्व कौन सा एमएलए अच्छी तरह से कर सकता है, कौन सी पार्टी की विश्वसनीयता इस देश में है, अब इन सारी बातों को लोगों ने भाँप लिया है और लोग बहुत होशियार हो गए हैं। ऐसे समय पर हमारी यह इतनी बड़ी जो लोक सभा है, इस लोक सभा में आने वाले दिनों में चुनावी प्रोसेस में जो बदलाव होने चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। हमारे देश एक बड़े वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित के मुद्दों पर, देश हित के मुद्दों पर बहुत बड़ी-बड़ी पीआईएल फाइल करते हैं। माननीय अश्विनी उपाध्याय जी ने इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसका 4-6 दिन पहले ही एक जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने भी चुनाव आयोग को कहा कि इसके बारे में आपको कोई न कोई सोच-विचार करना चाहिए, कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, कोई नियमावली बनानी चाहिए।

महोदय, मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था और आज आपके सामने फिर एक बार इस बात को दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब देश में चुनाव होगा और इन दिनों चुनाव के समय अलायंस करके भी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं। इस तरह बहुत बार चुनाव लड़ा गया है, आज भी इस तरह चुनाव लड़ा जाता है और आने वाले दिनों में भी अलायंस करके चुनाव लड़ा जाएगा। अगर मैं वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव की बात करूँ तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना ने अलायंस किया। दोनों दल अलायंस करके लोगों के सामने वोट माँगने गए। दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा-पत्र पब्लिक के सामने जारी किया। इन सारी बातों को देखकर जनता ने वोट दिया। 160 के लगभग विधायक चुनकर आए। जब चुनाव के नतीजे आ गए तो शिव सेना ने क्या किया, यह पूरे देश के लोगों ने देखा है। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई अलायंस करके चुनाव लड़ता है तो चुनाव आयोग के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह हमें आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता किस आधार पर वोट करेगी। एक पार्टी की विश्वसनीयता है, इसलिए लोग उसे वोट करते हैं। मैं जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसके नेताओं ने संघर्ष कर-करके आजादी के 75 साल में पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी पार्टी की एक विचारधारा है। हम कुछ बुनियादी मुद्दों को लेकर चले। उनमें से बहुत सारे मुद्दों का समाधान करने का देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।

पार्टी की एक विश्वसनीयता बन जाती है और उस पार्टी की विश्वसनीयता के ऊपर लोग मतदान के समय वोट देते हैं। मैं यहां पर पूरी तरह से यह नहीं कहूंगा कि इस प्रकार के लोक-लुभावने वायदें नहीं करने चाहिए। चुनाव होता है तो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लोग लोगों को कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे और आज़ादी के बाद 75 साल इस तरह से चला भी है। कांग्रेस ने बहुत लम्बे समय तक सरकार चलाई तो गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी, गरीब लोगों के लिए जो-जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वह कीं।

यह सब कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। लेकिन सरकार का जो बजट होता है, उस बजट से ही हमको करना है। सरकार की तिजोरी में पैसा इतना आयेगा और उसमें से हम यहां-यहां खर्चा करेंगे। अगर हमें कुछ मुफ्त में देना है तो हम यहां पर इस प्रकार से टैक्स बढ़ाएंगे या जहां पर टैक्स का हाथ अभी तक पहुंचा नहीं है, वहां पर भी हम टैक्स लगा कर देश की तिजोरी में पैसा लाएंगे और फिर उसमें से यह फ्री में या मुफ्त में या सब्सिडी में देंगे, इस प्रकार की घोषणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है और उसके बाद वह अपना मन बना सकती है। लेकिन ऐसा कोई कुछ कहे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े देश में लोकशाही के लिए यह घातक है। इससे देश को आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे संकट का सामना करने के पहले ही देश का जो यह मंदिर है, लोक सभा पूरे देश को चलाने का काम करता है, हम पूरे देश के लिए कायदा यहां पर बनाते हैं तो यहां पर बैठे हुए लोगों को देश के लिए आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जो भी परिवर्तन करने हैं या जो भी सुझाव देने हैं, वह हमें करना पड़ेगा। यह करने के दो-तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो सरकार कायदा लाकर बनाए या हम जैसे लोग सरकार को प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से सुझाव दें। कभी-कभी देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल फाइल करते हैं। सुओ मोटो कभी-कभी न्यायाधीश भी अपना जो मत है, वह चुनाव आयोग को और सरकार को समय-समय पर देने का काम करते हैं। फिर इस तरह से हमारी जो लोकशाही है, हम सब लोग मिल-जुलकर इस व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। हमें इस बात को बहुत गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो, इस विषय पर हम बहुत सकारात्मक चर्चा करें। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे पॉलिटिकल लोगों को चुनावी घोषणा करने का भी अधिकार है, लेकिन हमें एक चौखट के अंदर रह कर ही करना पड़ेगा। क्योंकि देश की तिजोरी में जो पैसा आएगा, हम उसी में से खर्चा करने वाले हैं। इस देश में ऐसा कोई भी पूंजीपति चुनाव नहीं लड़ेगा कि ठीक है कि पैसा कितना भी आना हो आए, अगर कम पड़ेगा तो मैं अपनी तिजोरी में से दे दूंगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है और दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ। विकसित देश में कहीं हुआ होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन भारत देश में ऐसा होने की संभावना मुझे कम दिखाई देती है।

सभापति जी, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि टैक्स पेयर गवर्नमेंट को जो पैसे देते हैं, मेरा यह भी एक सवाल है कि कोई कैसे उनकी अनुमति के बिना इस प्रकार का काम कर सकते है। It is a commitment to the public. सरकार जिस चीज के लिए टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसे के मुताबिक उनको आने वाले दिनों में सुविधा देना, यह चुनकर आने वाली सरकारों का काम है। यह हमारा लोगों के साथ में कमिटमेंट होता है। आप एक व्यक्ति के पास से पैसे लेकर उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करके, आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए कुछ भी करते हैं तो यह देश की जनता को बिल्कुल मान्य होने वाला नहीं है। इसलिए इस विषय पर हमें गंभीरता से सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं चाहूंगा कि चुनावी रिफॉर्म्स में हमें जो कुछ भी परिवर्तन करना है, आने वाले दिनों में बदलाव करना है, वह हमें करना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर गुजरात की जनता का अभिनंदन करना चाहूंगा। 27 सालों तक लगातार सिस्टम में काम करने के बाद भी हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने और हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया। 10-15 सालों में एंटी-इनकंबेंसी जैसा फैक्टर आ जाता है और चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात में 27 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज करने के बाद भी इतनी बड़ी थम्पिंग मैजोरिटी से जीते, ऐसा भी नहीं है कि लड़खड़ाते हुए जीते। इतनी बड़ी थम्पिंग मैजोरिटी से फिर एक बार जनता ने विश्वास सरकार के ऊपर किया है, तो हम जैसे चुन कर आए हुए जनप्रतिनिधियों का यह कर्त्तव्य बनता है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए एक चौखट बनाए। उनके लिए मापदण्ड बनाए जाएं और जो कमियां-खामियां है, उनको हमें आने वाले दिनों में पूरा करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना का कॉर्पोरेशन में बहुत लंबे समय तक, 25 साल तक साथ रहा और हमने एलायंस के साथ काम किया है। वर्ष 2017 का महानगरपालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना ने अलग-अलग लड़ा था। जिसमें भाजपा को 82 सीट्स और शिव सेना को 84 सीट्स मिलीं। शिव सेना ने कुछ लोगों को साथ ले कर मेयर बनाने का निर्णय लिया। भाजपा के पास 82 सीट्स होते हुए भी हमने न तो मेयर बनाने की बात की और न ही विपक्ष में बैठने की बात की। शिव सेना के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। कांग्रेस और बाकी लोगों की 30-40 सीट्स आई थीं। इसलिए 82 सीट्स के साथ नेता विपक्ष का पद लेने का पूरा अधिकार भाजपा को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिता को बरकरार रखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार को शिव सेना और भाजपा दोनों साथ में गठबंधन कर के चला रहे थे, इसलिए कॉर्पोरेशन में हम अलग लड़ कर भले ही जीत कर आए थे, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिका करते तो जनता के मानस में एक अच्छा संदेश नहीं जाता, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए पब्लिक के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे देश के प्रधान मंत्री जी कहते है कि मैं प्रधान सेवक हूँ तो हम जनता के सेवक हैं। जनता अपनी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कॉर्पोरेशन में हमको भेजती है, विधान सभा में भेजती है, लोक सभा में भेजती है, सरकारें बनती हैं और सरकार बनने के बाद हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करने की आवश्यकता है।

मुझे बड़ा गर्व है अपने देश के प्रधान मंत्री पर कि 8 साल में पूरे देश का नक्शा बदलने का काम उन्होंने किया है। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी लगन से किए हुए वादों को पूरा करना, इन सारी बातों की वजह से एक छवि देश में निर्माण करने का काम उन्होंने किया है।

सभापति महोदय, हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। एक जमाने में हमको विश्व के जो बड़े-बड़े फोरम्स हैं, उनमें सदस्यता नहीं मिलती थी और अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने देश का नाम इतना बड़ा किया, दुनिया के सारे देशों में घूम कर उन्होंने एक छवि तैयार की कि आज जी-20 की अध्यक्षता पर विराजने का सौभाग्य भारत देश को मिला है। इसलिए हमें आने वाले दिनों में दुनिया के देशों को दिशा देने की आवश्यकता है। यह हमारे पूर्वजों ने भी कहा था। 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम विश्व गुरू बनेंगे। तब तो किसी को लगता भी नहीं था और आज हम बनते जा रहे हैं। जब हम बनते जा रहे हैं, तब भारत देश की छवि, गरिमा, प्रतिष्ठा दुनिया के बाजार में शिखर पर पहुंच रही है, ऐसे समय पर हमारे देश में जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम है, उसको भी हमें बदलने की आवश्यकता है और समय-समय पर जो-जो आवश्यक हो, उसको भी करना पड़ेगा।

सर, पिछले सत्र में सिंग्रीवाल जी ने जो 100 पर्सेंट वोटिंग की बात की थी, सरकार ने उनको समझाया और उन्होंने विड्रॉ किया। अब मंत्री जी क्या करने वाले हैं, मुझे पता नहीं है। मंत्री जी के आदेश का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन उनकी बात में भी तो दम है। इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा कर के हम चुनाव के लिए जाते हैं और फिर एक बड़ा वर्ग चुनाव से वंचित रह जाता है। चलो, पहले समय की बात अलग थी, तब कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। आज तो सारी व्यवस्था है। डिजिटल इंडिया ने तो क्रांति कर दी हे। देश ने प्रधान मंत्री जी ने जब डिजिटल इंडिया को इंट्रोड्यूज़ किया तो हमारे देश के कुछ राजनीतिक लोग उसके ऊपर टीका-टिप्पणी करते थे कि गरीब देश है, यह है-वह है, दस तरह की बातें करते

थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया ने क्रांति की है और ऐसे समय पर आप कहीं पर भी हों तो आप अपनी वोटिंग कर सकते हो, इसकी व्यवस्था हो रही है। आने वाले दिनों में लोग ऑनलाइन वोटिंग भी करेंगे, यह भी हमारे देश में आएगा। यह समय बहुत दिन दूर नहीं है। उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय पर, जब सीनियर सिटीज़ंस के घरों पर जा कर, उनकी वोटिंग करवाने की व्यवस्था भी अभी आ गई है, इतनी व्यवस्था हम करते जा रहे हैं, यानी हर चुनाव में नई-नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती हैं, नई-नई व्यवस्थाएं लागू होती हैं। जो बातें मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है कि आज वे लागू नहीं होंगी, लेकिन 5, 10, 15, 20 या 25 सालों में तो होना ही है। घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ-बाप 25 साल के पहले ही योजना करते हैं कि क्या करना है। इसलिए हमें भी अपने देश के लिए आने वाले 10, 15, 20 या 25 सालों के बाद क्या सुधार होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए उसका सोच-विचार हमें अभी से ही करना पड़ेगा तो हम करेंगे। कायदा जब बदलेगा, जो होगा, वह होगा, लेकिन अगर चर्चा होती है और पब्लिक डोमेन में भी जब यह बात आएगी तो इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाले लोगों के ऊपर थोड़ा अंकुश लगेगा, उन्हें थोड़ा डर लगेगा। समाचार-पत्रों के लोग इसके बारे में लिखेंगे और इससे एक जागृति पैदा होगी। इस जागृति से ही समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमने पहले भी बदलाव देखे हैं और आज भी हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। यह चर्चा के माध्यम से ही होगा। चर्चा करने के लिए यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। पूरे देश को और पूरे राज्यों को दिशा-निर्देश देने का काम इस पार्लियामेंट और इस लोक सभा के माध्यम से होता है। इसलिए, इन सारी बातों के ऊपर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, समय-समय पर बदलाव लाने की आवश्यकता है और यह बदलाव आने वाले दिनों में आएगा। इसलिए, इस प्राइवेट मेम्बर्स बिल के माध्यम से मैंने अपने विचारों को और मेरी जो सोच है, उसको यहां पर रखने का प्रयास किया।

अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हम लोग बहुत ही जवाबदेह लोग हैं। मुझे लगता है कि उस जवाबदेही को निभाते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बैठ कर बात करना चाहिए। इस देश में बहुत अमीर लोग हैं, मध्यम लोग भी हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

आज देश के प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान् भारत योजना लाकर मेडिकल के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, उससे गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है। लेकिन, क्या सारे गरीब लोगों को मदद मिलती है? उन्हें तो मदद नहीं मिलती है। आज अगर एक सामान्य व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है तो तीन-चार लाख रुपये का बिल तो आराम से आ जाता है। हमारी व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की मानसिकता किस तरह की है? कल जब मैं पार्लियामेंट में बैठा था, तो उस समय एक व्यक्ति का व्हाट्स-एप्प मैसेज आया। उसका 4 लाख 10 हजार रुपये का बिल आया था। उस गरीब ने 3 लाख 70 हजार रुपये भुगतान कर दिया। उसकी अपेक्षा थी कि अगर मेरे फोन करने से जो बची हुई राशि है, उससे छूट मिल जाएगी तो यह बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैंने अपनी व्यवस्था के माध्यम से वहां मैसेज पहुंचाने का काम किया। सभापति महोदय जी, आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस हॉस्पिटल के लोगों ने सिर्फ 4,000 रुपये का कन्सेशन दिया। मलाड के एक हॉस्पिटल ने 4 लाख 10 हजार रुपये के बिल में से सिर्फ 4,000 रुपये का कन्सेशन दिया। शायद वे हम जैसे लोगों को यह संकेत देते होंगे कि आगे से आप कोई चिट्ठी लिखने या फिर इसके बारे में फोन करने की तकलीफ न करें। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के लिए हमें मेडिकल के क्षेत्र में भी आने वाले दिनों में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस प्राइवेट मेम्बर्स बिल के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग मुफ्त में कुछ देने, लोक-लुभावने वादे और घोषणाएँ करके चुन कर आते हैं और फिर सत्ता में बैठने के बाद भी जब वे उसे पूरा नहीं करते हैं तो लोगों का तो वे पाँच साल बिगाड़ते ही हैं, लेकिन देश को भी आगे बढ़ने से रोकने का वे काम करते हैं, इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं, वही हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के साथ बैठ कर इसके बारे में एक नियमावली, एक गाइडलाइन बनाएं। अगर माननीय मंत्री जी अपनी आवाज़ को, इस सभागृह की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा कर कोई नई व्यवस्था बनाते हैं तो इससे लोगों का एक विश्वास बनेगा। लोग जो टैक्स देते हैं, जो पैसे देते हैं, उनके एक रुपये का पूरा एक रुपया उन्हें वापस मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यह हमेशा कहते हैं कि आप हमें एक रुपया दे दीजिए, हम आपको सवा रुपये का रिजल्ट देंगे, यानी हम मेहनत करेंगे और आपको सवा रुपये का रिजल्ट देंगे। लेकिन, कुछ लोग एक रुपया लेते हैं और उनको चार आने की व्यवस्था देते हैं और बारह आने को येन-केन-प्रकारेण यहां-वहां कर देते हैं। ऐसा न करते हुए देश का जो सामान्य व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसके पूरे-के-पूरे अधिकार मिलने चाहिए। जब वह सरकार को माई-बाप कहता है तो माँ-बाप जो होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पालने-पोसने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें माई-बाप कहा जाता है। जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार माई-बाप है। सरकार को उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जीत कर आने के बाद मोदी जी इसे कर रहे हैं। मोदी जी ने उज्ज्वला स्कीम से लेकर कितनी स्कीम्स लाईं और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। आप जीत कर आकर करने का काम कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। मनरेगा के बारे में इतनी बातें होती थीं। उन्होंने मनरेगा में पैसे को और बढ़ा कर दिया। आयुष्मान् भारत जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय उसमें 40,000 करोड़ रुपये का खर्च था, तब उन्होंने शेयर बाजार से डील करने वाले लोगों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाकर सारे पैसे वहां से लाया। उन्होंने अपनी चातुर्य बुद्धि से यह सब किया। उन्होंने एक टैक्सपेयर से पैसे लेकर दूसरे को देने का तो काम नहीं किया। उन्होंने एक नई खोज की। इसलिए सरकार में चुन कर आने के बाद आप अपनी बुद्धि के माध्यम से नई खोज करते हुए उसमें से पैसे खड़ा कर आपको जो स्कीम लाना है, आप लाइए। यह सभी राज्यों में होता है, केन्द्र में होता है, हम सभी लोग ऐसा करते हैं।

17.00 hrs

यहाँ पर मेरी वेदना यह है कि किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही न हो और वे लोग अगर इस प्रकार से चुनावों में वादे देकर सिस्टम को तीतर-बीतर एवं डिस्टर्ब करने का काम करते हैं तो इस लोक सभा के मंदिर में हमें उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं संसद के इस सभागृह से अश्वनी उपाध्याय जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि एक वकील अपने परिश्रम और पैसे से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करता है। हम सारे लोग मिलकर यहाँ कायदे बना सकते हैं, लेकिन इस देश की लोकशाही ऐसी है कि एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो वह न्यायालय में जाकर, जो उसको चाहिए, उसे ले सकता है। इस बारे में भी उन्होंने बताने का काम किया है। मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने चुनाव अधिकारी के बारे में कहा कि इनके बारे में आप लोग सोच-विचार कीजिए। मेरा यह मुद्दा था, जो पहले से ही डाला हुआ था। इसलिए, मैं अपने हौसले को और बुलंद करते हुए, अपने मंत्री महोदय से अपेक्षा करूँगा कि वह भी इससे जुड़कर एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए, आने वाले दिनों में एक रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे। ऐसा भाव मैं प्रकट करता हूँ। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

Last time when my friend, Mr. Shetty, started deliberation on this Bill, I was listening to his point of view, and today, of course, again he has expanded on that view point.

The issue that is before us, through this Bill, is derecognizing national parties on certain conditions. That is what the crux of this Bill is. What is the end result? The end result is that we should have a smaller number of national parties in our country. The parties which did not get adequate public support in the last election, percentage-wise, should be de-recognised. The ultimate result would be that there would be only one or two national parties in the country. Does this adhere to the constitutional provision of our country? Did the Constitution-makers -- who deliberated for more than two years and seven months -- want this? The issue that they should confine national parties to two, or three, or maximum four numbers, was also before them. That was the point of debate. But ultimately, cutting across party lines and cutting across different schools of thought, it was decided that we should have a multi-party system. If you put conditions in a multi-party system -- as has been proposed by my friend, Gopal Shetty *Ji* -- you are violating the thought process or the decision of our Constitution-makers. They did not comprehend that such a thing will be deliberated in the House of the People like the Lok Sabha. Yes, people can go to the hon. Supreme Court. I have been informed that Shri Ashwini Vaishnaw, who is now the hon. Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, had been to the hon. Supreme Court. I am yet to find out whether he was a Member of Rajya Sabha or he was just an ordinary citizen of this country at that time. But anyone can go and knock on the door of the hon. Supreme court of India on any issue because that provision is there in the law. The hon. Minister of Law and Justice is present here.

He can also vouchsafe that this provision of raising any matter before the Supreme Court was not there earlier and it came much later. Of course, Justice Bhagwati is always remembered that by sending a post card to the Supreme Court, anything can be taken cognisance of and can be deliberated in a Bench.

But the writ condition came into existence much later. I should frankly mention it here that I am not a lawyer, neither legal activity is my profession. But the activity that I indulge in is this. My profession is journalism and, in that respect, I can only say that these are certain matters which we also always deliberate in our media circles because what is happening in the Supreme Court and what is happening in the Parliament is a point which other people also should come to know and that is how, my friend, Mr. Gopal Shetty, has raised that issue that our colleague Mr. Ashwini Vaishnaw, if he is the same person, has raised it in the Supreme Court of India, what did the Supreme Court say?

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Excuse me Sir. The person whom I am talking about was Shri Ashwini Updhayay. He is an advocate. He is not Shri Ashwini Vaishnaw.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You mentioned him as Shri Ashwini Vaishnaw.

SHRI GOPAL SHETTY: I stand corrected.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Then, I also stand corrected. He is Shri Ashwini Upadhyay. Then, that needs to be corrected.

HON. CHAIRPERSON: Alright, that name will be corrected.

श्री भर्तृहरि महताब : अश्वनी वैष्णव तो एक ही हैं। ... (व्यवधान)

If an individual has raised it or a lawyer has raised it in the Supreme Court of India, what did the Supreme Court say? Did they give any final judgement on that issue? A number of issues are going to the Supreme Court and even to the High Court. Not taking a decision, if I say so, is also a decision. Here, the Supreme Court has not taken a decision. My interpretation is this. Perhaps the Supreme Court did not want to give a decision on this. Rather they did not want to enter into the sphere of Election Commission. They have referred that matter to the Election Commission to take a decision. I am not aware what Election Commission will decide or has decided.

The Mover of the Bill did not say when it was referred to the Election Commission and how long will Election Commission take to take a decision on that subject. But the matter before us is limiting the number of national parties. Two aspects need to be looked into.

One is this. Can we limit the national parties as per the provision that is prevalent today? For that, he has suggested certain amendments in the Representation of the People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new section 29AA).

The other aspect is this. Do we benefit if national parties are limited to a certain number or on certain provisions? Today, Bhartiya Janata Party is having the Government in a number of States. How many States are left? Of course, now, Himachal Pradesh has gone out of the fold of Bhartiya Janata Party. How long will it continue, that is another matter. But starting from Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal and Bihar, these are non-BJP Government States. But the rest have BJP in Government or BJP also is a partner in the Government.

Imagine the situation of 1950 or 1952. An interim Government was there. Then, the first Lok Sabha election was held in 1952 and the Government came. We had Congress-ruled Governments throughout the country. There was a little change in 1957, but since 1952, or from 1947 till 1957, there were only Congress Governments. They decided that the country should have multi-party system, taking into consideration the views of other schools of thought and other peoples' opinion. The Constitution-makers decided on the provisions of a national party and of a provincial party or a State party. They did not restrict it. What was the composition of the Lok Sabha during that period? The late Shyama Prasad Mukherjee was the lone Member from the Jan Sangh. The late Hiren Mukherjee and three others were from the Communist Party of India. Were they not national parties? Today, my friend, Shri Gopal Shetty says – De-recognise them; do not give them the status of a national party. Where have we landed now? After 75 years, do we believe that giving recognition as a national party is choking our democratic system? Is it weakening the representative character of our democracy?

This question also needs to be debated. It is not that simple. When my friend Shri Gopal Shetty moved this Bill, he gave certain conditions for which we should de-recognise them. What are those conditions? But before that I should say, what is a national party? When a party is recognised as a national party, how does it benefit them? A national party has the right to a reserved symbol for its candidates contesting across the country; the party is also entitled to land or a building for its national headquarters; candidates from national parties need only one proposer to file nominations as opposed to two or more. They also get dedicated broadcast slots on Doordarshan and All India Radio during the General Elections. These are the four major or broad benefits a national party has after being recognised as a national party. But I would like to remind this House, before the Anti-Defection Law came into existence, before the Tenth Schedule was added to the Constitution, there was no mention of the word `party' in the Constitution. `Party' was not recognised by the Constitution makers. It was never mentioned in the Constitution at all. What was mentioned? `Association' was the word. When a group of people congregate and they decide to form an association and want to be registered before the Election Commission as a national party or as a State party, recognition is provided on certain conditions. Here, I would say, in the registration of political parties, any association or body of individuals, individual citizens of India -- no mention of party -- calling itself a political party and intending to avail itself of the provisions of this part shall make an application to the Election Commission for its registration as a political party for the purpose of this Act and this is the Representation of People Act, 1951.

This is the Act. Therefore, I would say that Party is recognised after Tenth Schedule came into existence and there was an amendment subsequently. Perhaps in allocation of election symbols, in 2003 and again in 2005, rules were framed and classification of political parties came into existence there. I quote:

> "For the purpose of this order and for such other purposes as the Commission may specify as and when necessary, therefore, arises political parties are either recognised political parties or unrecognised political parties. A recognised political party shall either be a national party or a State party."

Regarding conditions for recognition, I am referring to Section 6A and I believe the Government will go through it. I find it a little incongruous because in the footnote, it is mentioned as 14th May, 2005 and this is at page 201 of Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. It is the Statutory Rules and Order. I think there is a mistake here. It should be 'conditions for recognition as a national party' but here it is mentioned as 'a State Party'. It is there in Section 6A.

> "A political party shall be eligible for recognition as a State party in a State if and only if any of the following conditions is fulfilled.

At the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidate set up by the Party have secured not less than six per cent of the total valid votes of the State and in addition, the Party has returned at least two Members to the Legislative Assembly of the State at such general election

Or at the last general election to the House of the People, from that State, the candidate set up by the Party have secured not less than six per cent of the total valid votes polled in the State and in addition, the Party has returned at least one Member to the House of People from that State at such general election."

There are two other points also. It will be recognised as a State Party in that particular State. And what is our amendment that we are deliberating here? The amendment is 'the number of members belonging to the political party in the House of the People is not less than ten per cent of the total number of seats in the House of the People and the second one is, 'have been elected from not less than one-fourth of the total number of States'. These are the two major amendments which Shri Gopal Shetty, hon. Member, has moved. It is 'not less than ten per cent of the total number of seats in the House and have been elected from not less than one-fourth of the total number of States'. Then, it gets a national character. That is the idea behind this. Then he comes to say: 'At the last general election to the Legislative Assembly, the candidates set up by the political party secure not less than 16 per cent of total valid votes.'

As I said earlier, the basic idea which I understand with my limited knowledge is that perhaps the mover of this Bill does not want a multi-party system in this country. He has mentioned about the national party. But the hidden agenda which I believe is not to have a multi-party system in the country.

Is it advisable in a vibrating democracy? Our hon. Prime Minister is repeatedly saying that we have a vibrant democracy. And here, one of his party Members wants to limit the number of parties. My opinion is, when two members can form an association, why should we restrict them? The power is with the people. They may elect them or they may just reject them. Is it this House which had elected two Members of Bharatiya Janata Party? Was it derecognised then? It was not. Subsequently, what is the present position of Bharatiya Janata Party in our country? It has more than 300 Members in this House. So, it should be left to the people to decide. Why should we restrict the recognition of a political party through an Act? This is my first point of contention.

Sir, as per the Election Commission, a political party shall be eligible to be recognized as a national party if:-

(i) It secures at least six per cent of the valid votes polled in any four or more States, at a general election to the House of the People or, to the State Legislative Assembly; and
(ii) In addition, it wins at least four seats in the House of the People from any State or States or it wins at least two per cent seats in the House of the People and these Members are elected from at least three different States.

We have all witnessed the time when Communist Party of India got divided in 1964. One part was CPI(M) and another part was CPI. Shri Indrajit Gupta was leading his Party in this House. Shri Hiren Mukherjee used to sit in the right side of this House. They were stalwarts adhering to democratic norms and fervour and ventilating the people's point of view. But at another point of time, their party got diminished. We still have some Members from that party in this House.

I would say that it was a national party. When it lost its position for different reasons in a number of States, it also lost the recognition of national party. The same thing also happened with Swatantra Party. It also lost the recognition of national party.

So, I would say that there are provisions in our Constitution. There is no need to have this type of amendment. My point is that perhaps the mover of this Bill wanted to have an academic discussion here. But the moot question is that only after the 10th Schedule, party was recognised in our Constitution. Party Whip was given much importance. Individual liberty got curtailed in the House. Whatever is to be said in the House, it has to be dictated by the Leader of the party. That is how we have progressed since 1985 during the time of Shri Rajiv Gandhi when the Congress had a two third majority in this House.

Subsequently, another amendment also came in, which I just now mentioned. But the party recognised by the Election Commission is nothing but an association of persons. A single person cannot form a party. But a single person can represent the people in this House.

I would humbly tell my good friend, the mover of this Bill, Gopal Shetty-ji, that ours is a very large country, and it has different types of people who want to maintain their identity. Should we derecognise them saying, 'you are not a national party?'

Sir, the glaring example is All India Anna DMK party. It is an 'All India' Anna DMK. Similarly, there is the All India Trinamool Congress. And, in how many States are they present? But they are 'All India' parties. They might not be national parties, I am not aware about it. I think, Shri Gopal Shetty may do

certain investigation on that aspect, but my humble request is: "Do not restrict the number." I am always for the multi-party system in our country, and that is the reason we have thrived for the last 75 years.

Now, I would come to my last point. It was during Ashoka's time, some 2,400 years ago, the landmass that today India is, or a little more than that, was under one Government, one King and that was Ashoka.

Subsequently, after that, for more than 2,400 years – if we leave out 1947 – the India that is carved out today, at no point of time, or even during the Mughals about which we read so many things in our history books, it was never under one Government. It was only after Independence, because of our due to the struggle of our freedom fighters, Constitution makers, and stalwarts of our country, that this country got united under one Government.

We had Provincial Government. But the Union Government is one and it is still vibrant because we have the multi-party system. We are not restricting people from association. And, if this is so, my good friend should also understand it. We may have deliberations on this Bill for academic interest. But this is not the time to bring this Bill because it will not be for the benefit of our country's democratic temper.

Thank you, Sir.

SHRI GOPAL SHETTY: Sir…

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बाद में भी बोल सकते हैं। While replying to the debate, you may cover his point also.

SHRI GOPAL SHETTY: Okay.

HON. CHAIRPERSON: You may please note down whatever the hon. Members have said in this debate, and in the end in your reply you may cover all the points. क्या अभी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री गोपाल शेट्टी : महोदय, जी हां।

माननीय सभापति : ठीक है।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, हम सभी लोग श्री भर्तृहरि महताब जी का बहुत सम्मान करते हैं। वे बहुत स्टडी करते हैं, बैठते हैं, विषय को समझते हैं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने मुझे इसमें एड कर दिया है। जब संविधान लिखा गया था, तो उस समय के लोगों ने भी इस बात पर विचार किया था कि इतने बड़े देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां होनी चाहिए। एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, चार होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर डिस्कशन और डेलिबरेशन के बाद तय हुआ कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए और उसी हिसाब से देश चल रहा है।

हम वर्तमान में जो अनुभव पा रहे हैं, मैंने उस अनुभव के आधार पर ये कहा है कि जब कोरम होने के लिए इतनी संख्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए, कितने राज्यों में उसके कितने एमएलएज़ होने चाहिए, कितने एमपीज़ होने चाहिए। इसका एक मापदंड बना हुआ है। उसी तरह से लोक सभा में भी उसके इतने मेंबर्स होंगे, तब उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे खुले विचारों वाली पार्टी है, क्योंकि हम तो किसी को बड़ा होने से कभी नहीं रोकते हैं। On the contrary, we have supported all the political parties to become big in numbers.

हम एक नहीं इस तरह के 10 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। 130 से 135 करोड़ जनता वाले इस भारत देश में आने वाले दिनों में कोई भी कुछ भी कहकर चुनाव जीतकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं तो उसके लिए मैंने यह कहा था कि हम लोगों को इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने यह भी कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बैठकर इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। मेरी जो सोच है, उसे मैंने जाहिर किया था। मैंने कहा है कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन के माध्यम से ही जागृति आएगी। मैंने ये सारी बातें बताई थीं। इसलिए मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी नॉलेज को और बढ़ा दिया है। जब संविधान लिखा गया था, तब भी लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। अगर इतने समय के बाद भी हम इसको टच नहीं करेंगे तो यह अन्याय हो जाएगा।

माननीय सभापति: आपका राइट टू रिप्लाई है। जब बाद में चर्चा हो चुकी होगी, तब आप अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा।

श्री अब्दुल खालेक जी।

… (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, I have to say something. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please send your name first. Then only we will call you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please send your name to the Chair. Then only, you will be allowed to speak. Now, Abdul Khaleque ji.

… (*Interruptions*)

-

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदय, मेरे सांसद साथी गोपाल जी यहां पर जो बिल लेकर आए हैं, इस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

भर्तृहरि महताब जी ने इस बिल के बारे में बताया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है और अगर यह बिल पास होता है तो इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश होगी। इस बिल के पास होने से देश में तानाशाही बढ़ेगी। दुनिया में चाइना इसका उदाहरण है। इसके अलावा और भी कुछ देश हैं, जहाँ वन पार्टी सिस्टम है। मुझे लग रहा है कि हम वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जितने मत, उतने पद की है। विभिन्नता हमारी संस्कृति का अंश है। इस बिल में जो कहा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए लोक सभा में कम से कम 1/10 मैम्बर्स होने चाहिए। प्रेजेंट लोक सभा में विपक्ष में मेरी पार्टी के भी 1/10 मैम्बर्स नहीं हैं। हमें ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला है। जब ऑफिशियली विपक्ष का दर्जा नहीं मिलता है और जब यह प्रोविजन पास हो जाएगा तो नेशनल पार्टी बनना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कहा गया है कि हमारे जितने राज्य हैं, उनमें से 4 राज्यों में से चुनकर आना होगा। यह भी प्रोविजन ठीक नहीं है। जैसा कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी के इस पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मैम्बर्स रहे थे, लेकिन आज इस पार्टी के 300 से ज्यादा मैम्बर्स हैं। चुनाव में कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। जैसे यहां पर अभी मान साहब हैं। मान साहब कुछ समय पहले यहां पर नहीं थे। पंजाब में जब विधान सभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी मान साहब की पार्टी के एक भी विधायक नहीं जीते, लेकिन वहां पर सारी नेशनल पार्टी को हराकर, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टी को हराकर, जहां से मुख्य मंत्री जी सांसद थे, उस सीट से जीतकर आए हैं।

यही हमारे लोकतंत्र की महिमा है। इसलिए मेरे विचार में जो प्रॉविजन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1955 में है, वही ठीक है। कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर इतना रिजिड अमेंडमेंट होगा, जिससे नेशनल पार्टी बनना ही मुश्किल हो जाए तो उसमें दिक्कत है। महताब जी ने नेशनल पार्टीज के बेनिफिट्स के बारे में बताया। एक बेनिफिट, जो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी पोलिटिकल पार्टी लेना चाहेगी, वह है दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकॉस्ट । यह मिलता जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी अभी दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर डिपेंडेंट है। अभी यहां बहुत सारी बातें हुई हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी ऐसी एक इनक्वायरी होनी चाहिए कि एडवर्टीजमेंट पर, विज्ञापन पर कौन सी पोलिटिकल पार्टी ने कितना खर्च किया, किस सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि टैक्सपेयर्स जो टैक्स देते हैं, उससे सरकार चलती है। आजकल केन्द्र सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, ऐसी स्थिति बन गई है कि सत्ता में आने के लिए, हिताधिकारी बनाते हैं तो वह दूसरी बात है, लेकिन सत्ता में आने के लिए ऑफिशियली या नॉन-ऑफिशियली, दोनों तरह से बहुत से एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, जो टैक्सपेयर्स की मनी से होता है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, गोपाल जी ने विश्वगुरू बनने की बात कही, स्वामी जी को भी कोट किया। देखिए, विश्वगुरू बनने की बात हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज मेरा एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था। उसके उत्तर में विदेश मंत्री जी ने वर्ष 2015 से अभी तक के बारे में बताया है। वर्ष 2015 में 1 लाख 31 हजार 489 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी। दूसरे वर्ष, 2016 में 1 लाख 41 हजार 603 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तीसरे वर्ष, 2017 में 1 लाख 33 हजार 49 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। उससे अगले वर्ष में 1 लाख 34 हजार 561 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। उसके बाद के वर्ष में 1 लाख 44 हजार 70 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। वर्ष 2021 में 1 लाख 63 हजार 370 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। वर्तमान साल में, वर्ष 2022 में अक्टूबर महीने तक 1 लाख 83 हजार 741 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी और नागरिकता कितने लोगों ने ली? सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2019 में पास हुआ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों की बात अलग है। इन तीन देशों को छोड़कर वर्ष 2015 से 2022 तक बाहर के एक हजार लोगों ने भी हमारे देश की नागरिकता नहीं ली है। वर्ष 2015 में 93 लोगों ने, वर्ष 2016 में 153 लोगों ने और वर्तमान वर्ष में 63 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता ली। हमारा देश विश्वगुरू तब बनेगा, जब हमारे देश की नागरिकता कोई नहीं छोड़ेगा और जितने लोग छोड़ेंगे, उनसे दस गुना ज्यादा लोग, जो यहां इनवेस्ट कर सकें, वे हमारे देश की नागरिकता के लिए दरख्वास्त करेंगे, हम उन सभी को नागरिकता दें या न दें, वह अलग बात है। तब हमारा देश विश्वगुरू जरूर बन जाएगा।

स्वामी जी की बात अलग थी। स्वामी जी कहते थे – 'यत्र जीव, तत्र शिव:' अर्थात जहां जीव है, वही शिव है। लेकिन आज जो सरकार चल रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह सरकार का बिल नहीं है, लेकिन गोपाल जी बार-बार बीजेपी का नाम ले रहे थे। आज जो सरकार चला रहे हैं, वे लोग इसे नहीं मानते हैं। 'जहां जीव है, वही शिव है' – वे इसे नहीं मानते हैं। गृह मंत्री जी ने बोल दिया कि गुजरात में सरकार ने एक सबक सिखाया था। सरकार सबकी होती है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर सरकार किसी को या किसी समुदाय को सबक सिखाने की बात करेगी तो यहां पर लोगों का विश्वास कैसे रहेगा?

अभी गुजरात में बिलकिस बानो के केस में लोगों को रेमिशन मिली। हरियाणा में 29 नवंबर को एक रेप केस हुआ और 13 साल की लड़की का कत्ल हुआ। रेप के केसेज़ भी बढ़ रहे हैं। हमें वह वातावरण तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महिलाओं के खिलाफ क्राइम टूटे, बढ़े नहीं। हमें यह भी काम करना होगा। उसके साथ-साथ एक लोकतांत्रिक परिवेश हो और उस लोकतांत्रिक परिवेश में सभी लोग अपना मत रख सकें, अपने मत को आगे ले जा सकें। हमें ऐसा परिवेश बनाना होगा। सिर्फ मुंह से बोलने से यह नहीं होगा कि सबका साथ, सबका विकास, बल्कि सबका साथ, सबका विकास,

सबका विश्वास काम में करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट का जो प्रोविज़न है, वह बरकरार रहना चाहिए। उसमें हर जगह एक सा होना चाहिए। जब आम चुनाव पार हो जाते हैं, उसके बाद रिव्यू जरूर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, उसका नेशनल पार्टी का दर्जा है या नहीं है। यह रिव्यू जरूर होना चाहिए।

इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि नई नेशनल पार्टी न बने और इतनी कड़ी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि स्टेट पार्टी न बने। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, अभी गोपाल जी ने टैक्सपेयर मनी की बात बताई है। हम लोगों की ऐसी अथॉरिटी कब बनेगी, जब सारे लोग अपने ऊपर डिपेंड होंगे। प्रधान मंत्री जी 'आत्मनिर्भर भारत' की बात बोलते हैं, लेकिन अभी भी हिताधिकारी बन रहे हैं। क्या हिताधिकारी की जरूरत है? मैं यही कहता हूं कि हिताधिकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन हिताधिकारी कब आत्मनिर्भर होगा, वह भी देखना है। उसके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है? वह भी ठीक करना होगा। महोदय, यहां पर एंटी-डिफेक्शन लॉ की चर्चा हुई। राजीव जी यह कानून तब लेकर आए थे, जब राजीव जी का इस हाउस में पूरा बहुमत था। आज क्या हुआ? आज एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई कद्र नहीं है। आज सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? हमें मध्य प्रदेश में यह दिखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के विधायक को रिजाइन करवाया और अपनी पार्टी में जॉइन करवा लिया। हम लोगों ने कनार्टक में वही चीज देखी और दूसरे राज्यों में भी वही चीज़ देखी। एक कहावत है कि बाली के लिए जो है, वही सुग्रीव के लिए भी है। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में भी देखा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक को ले लिया, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडी (एस) के विधायक को ले लिया, उसी तरीके से ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के विधायक को ले लिया। यह रिपीट होता है। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ की कद्र होनी चाहिए। आम चुनाव में पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, उन चुनावों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग उनके एजेंडे पर चुनकर भेजते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ना बेबुनियाद और गलत है। यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। अभी महताब जी ने शंका बताई कि हिमाचल की सरकार कितने दिन रहेगी। यह ठीक ही बताई है, क्योंकि अभी केन्द्र में जो सरकार है, इस सरकार का कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकार कभी भी हिमाचल की सरकार, जो कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है, उसे गिराने का काम कर सकती है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन कानून है, इन लोगों को उस कानून की कद्र नहीं है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। … (व्यवधान) वह अपने नहीं जाएगी। महोदय, सरकार का अपने आप जाना तो दूसरी बात है, अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब कानून मजबूत होगा और हमारी वैल्यूज़ मजबूत होंगी। आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्र कब मजबूत होगा? जब राष्ट्र की सभी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी, तब राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। मुंह में आप लोग राष्ट्रवाद बोलेंगे और ऐसे काम करेंगे कि राष्ट्र कैसे कमजोर होगा तो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होगा।

उस पक्ष और इस पक्ष की बात नहीं है, मजहब की बात नहीं है, सारे भारतीय चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि भारत दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बने। उसके लिए सारे लोगों को काम करना होगा। अगर हम सारे वैल्यूज, कानून और व्यवस्था को तोड़ेंगे, तो यह देश कैसे मजबूत होगा? देश तभी मजबूत होगा, जब हम सभी वैल्यूज, कानून और सिस्टम को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, गोपाल शेट्टी जी ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल (अमेंडमेंड), बिल प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने विचारों को रखना चाहता हूं। गोपाल जी ने अपनी बात रखने के समय परसेंटेज और सीट्स के तालमेल को सामने रखा है, लेकिन हमारे मित्र खालेक साहब वैल्यूज की बात कर रहे थे। मैं वैल्यूज से ही अपनी बात शुरू करूंगा कि जब अटल जी की सरकार नहीं रही, तो उसके बाद स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने इस सभागृह के पटल पर एक बात को रखा कि हमारी लोकशाही किस तरह से चलती है कि उस वक्त सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी था और वह विपक्ष में था। दूसरे नम्बर का दल कांग्रेस था, जो सरकार में तो था, लेकिन वह सरकार के बाहर था। तीसरे नम्बर का दल लेफ्ट पार्टीज थे, जो सरकार के अंदर थे और सरकार के भागीदार थे। उस वक्त सिंगल पर्सन सदस्य थे, वे सरकार के अंदर थे और सरकार में मंत्री थे। चाइना में डेलीगेशन गया था और चाइनीज डेलीगेशन के सामने अपनी बात को रखते हुए, उन्होंने यह बताया था। इस सभागृह में आदरणीय महाजन जी ने उस बात को बताया था। आप जिस वैल्यू की बात करते हैं, तो देश चंद्रशेखर जी की सरकार को नहीं भूला है, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को नहीं भूला है, कांग्रेस की भूमिका उस वक्त क्या थी, उस बात को भी आज तक नहीं भूला है। पर, जब आप वैल्यू की बात करते हैं, तो गोपाल शेट्टी जी का जो मुद्दा है, वह इसी मुद्दे पर आधारित है। जब कथनी और करनी में फर्क हो जाता है, तो कथनी और करनी को सही कैसे करना चाहिए, इस बात पर आधारित यह मुद्दा है। पीपल रिप्रजेंटेशन एक्ट में जवाबदेही भी होनी चाहिए। जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो जवादेही के बारे में आदरणीय शेट्टी जी ने कहा है कि चुन कर आने के बाद, खालेक जी अभी आपने महाराष्ट्र में खेल देखा है, वह आपकी ही पार्टी थी। जो एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना-बीजेपी गठबंधन बना कर सामने-सामने लड़े और जैसे ही विधान सभा का चुनाव खत्म हुआ, मौकापरस्त कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ सरकार बना ली। उदाहरण काफी पुराना नहीं है, यह ताजा ही है। मैं आपके सामने ताजी बात को ही रखता हूं कि जब इस सर्वोच्च सभागृह में मोराल वैल्यूज की बात करते हैं, तो कांग्रेस को मोराल वैल्यूज के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब हम अपनी बात को रखते हैं, तो पीपल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में क्या बदलाव होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। गोपाल जी ने बिल में कहा है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स के आधार पर, 16 फीसदी वोट के आधार पर डिपॉजिट जब्त हो जाती है, इतने वोट्स किसी उम्मीदवार को नहीं पड़ते हैं, तो 6 परसेंट वोट पाने वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, इसके बारे में गोपाल जी ने अपने बिल में कहा है।

मैं महताब जी की बात भी सुन रहा था। इन्होंने इस सभागृह का काफी अच्छा मार्गदर्शन किया है। महताब जी व्यवस्था के ऊपर उठ कर, आजादी के समय से जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उसके ऊपर उठ कर, हम कभी सोचेंगे या नहीं, यह आज का मुद्दा है। कोई नेशनलाइज पार्टी कम करने का मुद्दा इसमें नहीं है। राजकीय पक्षों की लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़े, यह मुद्दा इस बिल में लाया गया है।

गोपाल जी ने फ्रीबीज की बात कहा है। खालेक साहब, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी ही पार्टी थी, वह चुनाव लड़ी। सभापति महोदय, यह इंट्रेस्टिंग किस्सा है।

माननीय सभापति महोदय, यह इंट्रेस्टिंग किस्सा है। महाराष्ट्र के विधान सभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा के आधार पर लड़ी। उस एजेंडा में कहा गया था कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोागें के लिए इतने साल तक की, साल 2000 तक की झुग्गी बस्तियों को रेगुलराइज करेंगे। सरकार चुनकर आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने लोगों से कहा कि that was a printing mistake. साल लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। इस तरह की बातें तो हमने महाराष्ट्र के अन्दर देखी हैं। हमने कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखा है। ये लिखते हैं एक बात और चुनाव में जीतकर आने के बाद उन्हीं झुग्गी बस्ती वाले लोगों को कहते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, हम वायदा भूल गये हैं, आप भी भूल जाओ। इस तरह की बात को कांग्रेस ने हमेशा दोहराया है।

माननीय मोदी जी ने जब हाउसिंग फॉर ऑल कहा तो सामान्य आदमी को घर देने के लिए चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अर्बन लोकल बॉडीज हों, सभी ने कानूनों में बदलाव करके लोगों को घर मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हुआ है, जिसकी मिसाल आपके सामने है।

जब किसी पार्टी ने फ्री बिजली देने की बात की, किसी पार्टी ने फ्री पानी देने की बात की, लेकिन चुनकर आने के बाद वह पार्टी उस बात को पूरा नहीं करती है, तो उसके रेकॉग्नाइजेशन का क्या होगा, यह सवाल भी हमें करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम पीपल रेप्रजेंटेशन एक्ट की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है कि जब हम चुनाव रिफॉर्म्स की बात करते हैं, श्री महताब जी, आप भी ध्यान दीजिए, जब हम चुनाव में जाते हैं, पिछली बार प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में कम्पलसरी वोटिंग का बिल लगा था, लेकिन आज की हमारी चुनाव व्यवस्था क्या है? आज की हमारी चुनाव व्यवस्था यह है कि सबेरे सात बजे से लेकर शाम को छ: बजे तक यानी 11 घंटे की वोटिंग व्यवस्था है। अगर 11 घंटे की वोटिंग व्यवस्था में हम यह सोचते हैं कि हजार लोगों के बूथ पर सारी वोट पड़ जाएंगी, तो यह असंभव है। यह इसलिए असंभव है क्योंकि एक मतदाता को बूथ के अन्दर जाकर और वोट देकर बाहर आने में कम से कम एक मिनट का समय तो लगता ही लगता है। हमारी व्यवस्था 660 मिनट की है। हम 660 मिनट में अगर 660 वोट डाल सकते हैं, तो जिस दिन हम लोग कम्पलसरी वोटिंग लागू करेंगे, तो एक हजार लोगों के लिए 14 या 15 घंटे की मतदान व्यवस्था करनी होगी। क्या हम इसके बारे में कभी सोचेंगे, क्या हम इस व्यवस्था को स्ट्रेन्देन करने के लिए सोचेंगे? श्री गोपाल जी टैक्स पेयर्स मतदाताओं की बात कही, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह नागरिकों का अधिकार है। पाँच साल में वह अपने इस अधिकार का प्रयोग तीन बार करता है- लोक सभा के चुनाव में, राज्य की विधान सभा के चुनाव में और अर्बन लोकल बॉडीज या ग्राम पंचायत के चुनाव में। लेकिन तीनों बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही भारत देश के अन्दर उस मतदाता को क्या फैसिलिटी मिलती है?

जब वह लाइन में खड़ा रहता है, तो धूप में पसीने से लथपथ होकर वह इस आशा में मतदान करने के लिए जाता है कि मैं जिसको मतदान कर रहा हूँ, वह इस देश का भाग्यविधाता बनेगा, वह मेरे प्रदेश का भाग्यविधाता बनेगा।

श्री खालेक जी, आपने जो बात कही कि विश्वगुरु के पद पर भारत कब जाएगा, तो माननीय मोदी जी के प्रयासों से आज भारत के नागरिकों को विश्व में एक पहचान मिली है। भारत अपनी पहचान को खोज रहा था और आज भारत को एक पहचान मिली है।

आपने आंकड़े बताए कि इतने लोगों ने भारत छोड़ दिया, इतने लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप नागरिकता छोड़ने वाली बात कहते हैं, तो उसके साथ-साथ इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व में आज हर तीसरा डॉक्टर भारतीय है, हर दूसरा इंजीनियर भारतीय है। नासा में सभी क्षेत्रों में आज भारतीयों का डंका है। भारतीय नागरिक न केवल भारत के अन्दर, बल्कि विश्व के सभी देशों में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हुए हैं। चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वह अपनी बात को बखूबी रखता है और ईमानदारी से अपना काम करता है, इसीलिए भारत विश्व गुरु के पद पर पदस्थापित होने जा रहा है। यह उसका प्रमाण है।

आप नागरिकता के आंकड़े गिना रहे थे, नागरिकता क्यों कम हुई, मैंने उसका उत्तर दिया है। जो लोग नॉन-रेजीडेंट इंडियन बनकर अलग-अलग देशों में अपनी-अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके योगदान को भी भारत ने सराहा है, माननीय मोदी जी ने उन्हें सराहा है और उसके कारण ही विश्व में हमारे देश के 130 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊँचा होता है जब हमारा भारतीय भाई किसी कम्पनी का सीईओ बनता है, जब हमारा भारतीय भाई नासा में बड़े वैज्ञानिक के पद पर जाता है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक भारतीय मूल का नागरिक जा सकता है और इंग्लैंड में भारतीय मूल का नागरिक प्रधानमंत्री बनता है, इसका हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारतीय मूल की पहचान बढ़ रही है। हम विश्व गुरु के पद पर पदस्थापित हो रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति जी, आपने मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपल एमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। इत्तेफाक से आज ही आपने मुझे अनुमति दी क्योंकि मैंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक प्राइवेट मैम्बर बिल इंट्रोड्यूज किया है जिसमें ईवीएम द्वारा जो चुनाव होता है, उसे वापस बदलकर बैलेट से चुनाव कराए जाने की बात कही है और इस बिल को आपने मुझे इंट्रोड्यूज करने की अनुमति दी।... (व्यवधान)

सभापति जी, डिजिटल इंडिया तो ठीक है, लेकिन आज डिजीटल वर्ल्ड हो गया है और उसी डिजिटल वर्ल्ड की कंट्रीज, जहां ज्यादा डिजिटाइजेशन है, वे हमसे ज्यादा आगे हैं और विकसित देश हैं, वहां ईवीएम मशीनों को रद्द करके वापस बैलेट पेपर्स से ही चुनाव कराए जा रहे हैं और जनता का विश्वास बार-बार ईवीएम द्वारा चुनावों से हट रहा है, उससे कहीं न कहीं शक पैदा हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर और उनके साथियों ने बहुत सोच-समझकर यह संसदीय प्रणाली देश को दी। आप पिछले दो दिनों से देख रहे हैं जिस तरह से मीडिया में गुजरात के रिजल्ट आने के बाद से चल रहा है कि कैसे एक पार्टी ने सभी को स्वीप कर दिया है और जैसे देश में कोई दूसरी पार्टी या नेता है ही नहीं। तीन जगह आपकी सरकारें थीं। गुजरात में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली कार्पोरेशन में भी आपकी सरकार थी। दो जगह आप हारे और एक जगह जीते, लेकिन आप नेरेटिव ऐसा बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

सभापति जी, पता नहीं ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वालों को क्या आपत्ति हो जाती है कि जब मैं इनके एजेंडे को एक्सपोज करने के लिए खड़ा होता हूं, तभी ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं।... (व्यवधान) यदि मैं एक बात कह दूं तो बात बहुत हल्की हो जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी-छोटी जगहों पर बीच-बीच में जीताते रहो और जब मलाई काटने का समय आए तो आप मलाई खाते रहो।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलिए और चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

… (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: महोदय, मैं लगातार चेयर को एड्रेस कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि चुनाव सुधार का कार्य होना चाहिए। इस देश में चुनाव के अंदर यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से है कि किस पार्टी को कितना चंदा कार्पोरेट हाउसेस देते हैं, कितना चंदा इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से मिलता है। यह चोरी का रास्ता हमने यहां से निकाल करके दे दिया। सबसे पहले चुनाव सुधार पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में होना चाहिए। फाइनेंस बिल के माध्यम से आपकी सरकार इलेक्टोरल बांड्स को लाई थी। आप कहते हैं कि वन पार्टी रूल इस देश में रहे, इसलिए इस तरह का बिल ला रहे हैं।

माननीय सभापति : क्या आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं या अगली बार बोलना चाहते हैं?

कुंवर दानिश अली: मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय माननीय सदस्य की बात समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आप बोलिए।

कुंवर दानिश अली: महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देश में है और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए यदि आप इतनी कंडिशन्स लगा रहे हैं, तो ठीक नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या फर्क पड़ता है? यदि मल्टी पार्टी नहीं होती, गुजरात में दो पार्टी नहीं लड़तीं, तो आज आप यह जश्न नहीं मना रहे होते। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब यह है कि एक सिम्बल रिजर्व हो जाता है।… (व्यवधान) मैं गृह राज्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि विपक्ष ने कितनी बार मांग की है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात शीघ्र समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली: महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सुधार होना चाहिए, लेकिन इस तरह की कंडिशन्स नहीं होनी चाहिए। आपकी सरकार फुल मेजोरिटी के साथ है। यह ठीक है कि इंडिविजुअल मैम्बर का अधिकार होता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार भी यह बिल ला सकती है। सदन में एक और अच्छी बात हुई कि एक और प्राइवेट मैम्बर बिल पापुलेशन कंट्रोल के बारे में आया।

18.00 hrs

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे ऐसे साथी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, जिसके खुद 4 बच्चे हैं और वह कह रहे हैं कि एक से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए और वह रूलिंग पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि नैरेटिव सेट करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।

माननीय सभापति : कृपया कनक्लूड करें।

कुंवर दानिश अली: सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन चुनाव सुधार के जो बड़े कार्यक्रम हैं, उनके लिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अपील है कि सरकार एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाए, जिसमें चुनाव सुधार का कार्यक्रम हो। वन पार्टी रूल का सपना ये देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो आजादी दिलाई, जो संविधान बनाया, उसे लगातार डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश ये कर रहे हैं, वह नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ریپریزینٹیشن آف دی پیوپل امینڈمینٹ بِل پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اتفاق سے آج ہی آپ نے مجھے اجازت دی، کیونکہ میں نے پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں امینڈمینٹ کرنے کے لئے ایک پرائیویٹ ممبر انٹروڈیوز کیا ہے جس میں ای۔وی۔ایم۔ کے ذریعہ جو انتخابات ہوتے ہیں اسے واپس بدل کر بیلیٹ سے انتخاب کرانے کی بات کہی ہے۔ اور اس بِل کو آپ نے مجھے انٹروڈیوز کرنے کی اجازت دی۔۔ (مداخلت)۔

چیرمین صاحب، ڈیجیٹل انڈیا تو ٹھیک ہے، لیکن آج ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا ہے، اور اسی ڈیجیٹل ورلڈ کے ممالک، جہاں زیادہ تر ڈیجِٹائزیشن ہے، وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ای۔وی۔ایم۔ مشینوں کو ردّ کرکے واپس بیلیٹ پیپر سے ہی چناؤ کرائے جا رہے ہیں۔ اور عوام کا یقین بار بار ای۔وی۔ایم کے ذریعہ چناؤ سے ہٹ رہا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں شک پیدا ہو رہا ہے، اس لئے اس میں امینڈمینٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارا ملک ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ہے۔ آئین کے نِرماتا بابا صاحب، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ آئینی نظام ملک کو دیا ہے آپ

پچھلے دو۔تین دنوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میڈیا میں گجرات کے نتائج آنے کے بعد سے چل رہا ہے جیسے ایک پارٹی نے سبھی کو سویپ کر دیا ہے، اور ملک میں کوئی دوسری پارٹی یا نیتا ہے ہی نہیں۔ تین جگہ آپ کی سرکاریں تھیں۔ گجرات میں بھی آپ کی سرکار تھی، ہماچل پردیش میں بھی آپ کی سرکار تھی، اور دہلی کارپوریشن میں بھی آپ کی سرکار تھی۔ دو جگہ آپ ہارے اور ایک جگہ جیتیں ہیں۔ لیکن آپ نیریٹیو ایسا بنا رہے ہیں کہ ملک میں اپوزیشن بچی ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ (مداخلت)۔۔

محترم چیرمین صاحب، پتہ نہیں ٹریزری بینچز پر بیٹھنے والوں کو کیا پروبلم ہو جاتی ہے کہ جب میں ان کو ایجینڈے کو ایکسپوز کرنے کے لئے کھڑا ہو تا ہوں، تبھی یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ (مداخلت)۔۔ اگر میں ایک بات کہہ دوں تو بات بہت ہلکی ہو جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیچ بیچ میں جِتاتے رہو اور جب ملائی کاٹنے کا وقت آئے تو آپ ملائی کھاتے رہو (مداخلت)۔۔

جناب، میں لگاتار چیر کو ہی ایڈریس کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چناؤ سُدھار کا کام ہونا چاہئیے۔ اس ملک میں چناؤ کے اندر اگر سب سے بڑا بھرشٹاچار ہے تو الیکٹورل بائنڈس کے مادھیم سے ہے کہ کس پارٹی کو کتنا چندہ کارپوریٹ ہاؤسس دیتےہیں، کتنا چندہ الیکٹورل بائنڈس کےذریعہ سے ملتا ہے۔ یہ چوری کا راستہ ہم نے یہاں سے نکال کر دے دیا ہے۔ سب سے پہلے چناؤ سُدھار پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں ہونا چاہئیے۔ فائنس بِل کے ذریعہ سے آپ کی سرکار الیکٹورل بائنڈس کو لائی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ون پارٹی رول اس ملک میں رہے، اس لئے اس طرح کا بِل لا رہے ہیں۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ملک میں ہے اور راشٹریہ پارٹی بنانے کے لئے اگر آپ اتنی کنڈیشن لگا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ راشٹریہ پارٹی بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ملٹی پارٹی نہیں ہوتی تو گجرات میں دو پارٹی نہیں لڑتی تو آج آپ یہ جشن نہیں منا رہے ہوتے۔ راشٹریہ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سِمبل ریزرو ہو جاتا ہے (مداخلت)۔۔ میں گِرہ راجیہ منتری جی سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے کتنی بار مانگ کی ہے۔

جناب، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پیوپل ریپریزینٹیسن ایکٹ میں سُدھار ہونا چاہئیے، لیکن اس طرح کی کنڈیشنس نہیں ہونی چاہئیے۔ آپ کی سرکار فُل میجوریٹی کے ساتھ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈیوجول ممبر کا حق ہوتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار بھی یہ بِل لا سکتی ہے۔ ایوان میں ایک اور اچھی بات ہوئی کہ ایک اور پرائیویٹ ممبر بِل پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں آیا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ایسے ساتھی نے اسے انٹروڈیوز کیا ہے، جن کے خود 4 بچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ زیادہ بچے نہیں ہونے چاہئیے اور وہ رولنگ پارٹی کے ہیں، بی۔جے۔پی۔ کے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نیریٹیو سیٹ کرنے کے لئے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔

چیرمین صاحب، میں یہی کہوں گا کہ پیوپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں امینڈمینٹ ہونا چاہیے، لیکن چناؤ سُدھار کے جو بڑے کام ہیں، ان کے لئے آپ کے ذریعہ سے میری سرکار سے اپیل ہے کہ سرکار ایک بڑا کامپری ہینسِو بِل لائے، جس میں چناؤ سُدھار کا کاریکرم ہو۔ ون پارٹی رول کا خواب یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو آزادی دلائی ہے، جو آئین بنایا ہے، اسے لگاتار بربار کرنے کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہئیے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔

(ختم شد)]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, December 12, 2022/ Agrahayana 21, 1944 (Saka)

---

* *Introduced with the recommandation of the President.

* *Introduced with the recommendation of the President.

* *Introduced with the recommendation of the President.

* *Introduced with the recommendation of the President.

* Not recorded

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 09.12.2022.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

∑ Not recorded

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.

** Introduced with the Recommendation of the President.